ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 19-21

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-03, No.-II, Issues-15YEAR-2014 Extra

भारत में पंचायती राज : सकारात्मक पक्ष

राकेश कुमार यादव

शोध अध्येता –समाजशास्त्र विभाग मगध वि0वि0 बोधगया (बिहार), भारत

सारांश : *दशकों से भारत के गाँवों को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले उस समाज के रूप में पहचाना जाता रहा है, जो रूढ़िवादी तथा जातिगत बन्धनों से परिपूर्ण संकीर्ण मानसिकता से परिपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात् देश ने प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी क्रम में सामाजिक क्षेत्र में हुई प्रगति एवं परिवर्तन किसी क्रांति से कम नहीं हैं। क्रांति इसलिए कि सदियों से गुलामी के दंश झेलने वाले दलित, दमित एवं शोषित वर्गों को लोकतांत्रिक परिवेश में मानवीय गरिमा से भरपूर जीवन जीने के अवसर मिले हैं। संविधान के चौथें भाग में वर्णित राज्य के नीति–निदेशक तत्त्वों के माध्यम से सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि पिछड़े वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों, वृद्धों बच्चों तथा अन्य निर्योग्यताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण, सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक नीति, कानून एवं कार्यक्रम निरूपित एवं क्रियान्वित करेगी। संविधान का यह भाग 'प्रशासकों की आचार संहिता' का कार्य करता है।*

कुंजी शब्द– अर्थव्यवस्था, रुढ़िवादी, जातिगत बन्धनों, मानसिकता,शोषित, निर्योगिताग्रस्त, कियान्ति ।

स्वतंत्र भारत के समग्र अर्थिक–सामाजिक विकास के लिए बनी ग्यारह पंचवर्षीय योजनाएँ मूलतः ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्यों को समर्पित रही हैं। आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना हुई है तथा पंचायती राज के रास्ते लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। स्वतंत्रता के छः दशकों में सामाजिक स्तर पर आए बदलाव क्रांति से कम इसलिए नहीं है कि इन्होंने सामाजिक संरचना, मूल्यों, परम्पराओं तथा प्रवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन कर दिए हैं और इसी कारण आज का भारत विदेशी प्रतिभाओं के सम्मुख अपना लोहा मनवा सका है।

शुरू में संविधान के अनुच्छेद–40 के द्वारा राज्य से पंचायतों की स्थापना तथा उन्हें पर्याप्त सत्ता एवं स्वायत्तता देने का प्रावधान किया गया था लेकिन सशक्त एवं प्रभावी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार दिया गया। वर्तमान में पंचायती राज की स्थिति इस प्रकार है–

भारत में पंचायतों का नेतृत्व

पंचायत स्तर	संख्या	निर्वाचित प्रतिनिधि	महिलाएँ प्रतिशत	अनुसूचित जाति प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति प्रतिशत
जिला पंचायतें	537	11,825	41	18	11
मध्यवर्ती पंचायतें	6,097	1,10,070	43	22	13
ग्राम पंचायतें	2,34,676	20,73,715	40	16	11

भारत में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण के मूल्यांकन से सम्बन्धित कतिपय सकारात्मक पक्ष इस प्रकार कहे जा सकते हैं–

1. शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप अर्थात् 'लोकतंत्र की 'ग्रासरूट' स्तर पर स्थापना पंचायती राज के माध्यम से ही सम्भव हुई है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मूर्तरूप पंचायती राज संस्थाओं ने निर्धन, निरक्षर, असंगठित तथा उपेक्षित ग्रामजनों को आवाज एवं जुबान दोनों दी हैं। इस सुख को वही बता सकता है जिसने इसे वास्तव में भोगा है। स्वतंत्रता के इन छः दशकों में विश्व भर में कौतुहल का विषय रहा है कि तमाम प्रकार की विसंगतियों एवं विविधताओं के उपरान्त भी भारतीय लोकतंत्र जीवित कैसे है? विगत के कुछ दशक निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए झंझावात ही थे जो उसने अपनी सनातन परम्परा के द्वारा सहज ही झेले भी हैं। लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में कम मतदान की जो उदासीनता प्रदर्शित होती है वह पंचायत चुनाव में उड़न छू हो जाती है। वैसे भी स्थानीय संस्थाएँ विशेषतः पंचायती राज लोकतंत्र की पाठशाला कही जाती है।

आज भारत को दुनिया का सबसे 'बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है क्योंकि भारत में न केवल संधीय एवं प्रांतीय सरकारें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सशक्त प्रमाण है बल्कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें भी है। ग्रामीण भारत का मतदाता सामान्यतः छः प्रकार के जनप्रतिनिधि चुनता है–

- लोकसभा का सांसद
- विधानसभा का विधायक
- सरपंच
- वार्ड पंच
- पंचायत समिति प्रतिनिधि
- जिला परिषद प्रतिनिधि

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-03, No.-II, Issues-15YEAR-2014 Extra

भारत में कुल जनप्रतिनिधियों की संख्या लगभग 31 लाख है। जिनमें पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 22 लाख जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जिसमें 40 प्रतिशत से भी अधिक (9 लाख) महिलाएँ हैं। सामान्यतः हर वार्ड पंच के निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 340 व्यक्ति (70 परिवार) सम्मिलित होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है ?

2. 73 वें संविधान के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं को संस्थागत या संरचनात्मक (ढाँचा) स्वरूप प्राप्त हो चुका है अर्थात् इन संस्थाओं की स्थापना, निर्वाचन तथा आरक्षण व्यवस्था नियमित प्रक्रिया बन चुकी है जो कि पूर्व के दशकों में स्थायित्व प्राप्त नहीं थी। अब चाहे कैसी भी विषय परिस्थितियाँ हों, ये संस्थाएँ विद्यमान रहेंगी। हाँ, इनका कार्य क्षेत्र, प्र.ति एवं स्वरूप परिवर्तित हो सकता है लेकिन कदम आगे की ओर ही बढेंगे यह निश्चित हो चुका है।

3. आरक्षण की सुविधा के चलते अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों (कुछ राज्यों में) के व्यक्तियों का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। पूर्ववर्ती पंचायतों में प्रायः गाँव के प्रभुत्व जाति के धनी एवं रौब–दाब वाले व्यक्ति सरपंच इत्यादि बनते थे किन्तु आरक्षण व्यवस्था से सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है। यदि यह कहा जाए कि स्वतंत्र भारत में पिछड़ी जातियों में आयी राजनीतिक चेतना अपने आप में एक क्रांति है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। आज राष्ट्रीय स्तर या स्थिति यह है कि यह वर्ग सरकार निर्धारित करने में सबसे सशक्त ताकत सिद्ध हो रहा है।

4. महिलाओं को मिले एक तिहाई आरक्षण ने पुरुष प्रधान समाज में घूँघट में सिसक रही 'आधी दुनिया' की सारी दुनिया ही बदल दी है। आज अकेले राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कुल 1,20,553 जनप्रतिनिधियों में से 40,543 सदस्य महिलाएँ हैं जो 33.33 प्रतिशत से भी अधिक हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज जनप्रतिनिधियों में लगभग 9 लाख महिलाएँ है। ज्ञात रहे देश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33.33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जबकि राष्ट्र स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 42 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि हैं। उत्तर प्रदेश में 54 प्रतिशत जिला पंचायतों की अध्यक्ष महिलाएँ हैं तथा कर्नाटक की पंचायती राज संस्थाओं में चयनित जनप्रतिनिधियों में 45 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हैं। चाहे पुरुषों को स्वीकार है या नहीं किन्तु एक तिहाई गाँवों की पंचायतें महिलाएँ संभाल रही हैं।

5. पंचायती राज की नयी प्रणाली से छोटे परिवार की अवधारणा को बल मिला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तथा हरियाणा में प्रावधान है कि 2 से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति पंचायती राज का जनप्रतिनिधि नही हो सकता है। राजस्थान में सन् 1997–2000 के मध्य 500 से भी अधिक पंचायती राज जनप्रतिनिधि इसी प्रावधान के कारण अपनी सदस्यता खो बैठे थे। राज्य उच्च न्यायलय ने भी इस प्रावधान को वैध तथा समयानुकूल ठहराया है। ऐसी स्थिति में समाज में एक सकारात्मक संदेश फैल रहा है।

6. राष्ट्रीय ग्रामीण राजगार गारण्टी, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वजलधारा वाटर शैड (हरियाली) योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से लेकर बी0पी0एल0 सेन्सस तक सभी ग्राम पुनर्निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज के माध्यम से सफलतापूर्वक हो रहा है।

7. महिला सरपंचों, पंचों एवं अन्य प्रतिनिधियों के कारण अब विकास कार्यों की प्राथमिकताएँ बदल गई हैं। पूर्व में पुरुष सरपंच प्रायः सड़क, पुलिया, खरंजा, पंचायत या पटवार भवन के प्रस्ताव अधिक रखते थे जबकि महिला जनप्रतिनिधि शौचालय, हैण्डपम्प, पीने का पानी, टीकाकरण, पोषाहार तथा ईंधन समस्या पर प्रस्ताव अधिक देती है। स्पष्ट है सामाजिक विकास एवं मानव संसाधन विकास के नये युग का सूत्रपात हो रहा है।

8. विकास कार्यों में जनसहभागिता केवल पंचायती राज के माध्यम से ही सम्भव हुई है। वास्तविकता यह है आज ग्रामीण विकास एक मुद्दा है। दूसरे शब्दों में कहें तो विकास के अधिकार (राइट टू डेवलपमेण्ट) को लेकर ग्रामवासी अत्यधिक जागरूक हैं तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से अपनी विकास आवश्यकताओं को पंचायतों के दबाव में पूरा करवा रहे है।

9. इसके माध्यम से परम्परागत ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन आया है और ऊँची जातियों का एकाधिकार कमजोर हुआ है, जाति, धर्म एवं परम्परागत भावनाओं में समानता की दिषा में परिवर्तन संभव हुआ है, निचले स्तर की जातियाँ संख्यात्मक षक्ति के आधार पर प्रभु जाति को चुनौती दे रही हैं और अपनी परिस्थिति सुधार की दिशा में क्रियाशील हैं।

10. आज गांवों में नेतृत्व के नये प्रतिमान का उदय हुआ है और उस क्षेत्र में अधिक आयु, धर्म और जाति की उच्चता का महत्व कम हो रहा है।

उपरोक्त सभी पक्षों पर विचारोपरान्त हम कह सकते है कि पंचायतीराज के परिणाम अधिकांशतः सकारात्मक रहे हैं। संवैधानिक दर्जा तथा समयबद्ध चुनाव द्वारा महिलाओं की भागीदारी और समाज के पिछड़े वर्गों का इस प्रक्रिया

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-03, No.-II, Issues-15YEAR-2014 Extra

में स्थान सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। पंचायतीराज संस्थाओं को न केवल ग्रामीण विकास का माध्यम बनाया गया है बल्कि लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण की उस प्रक्रिया में निम्न स्तर पर लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गयी है जिससे लोगों की निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए परोक्ष रास्ता मिला है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राय सुधीर कुमार : ग्रामीण सामाजिक संरचना और परिवर्तन, नीलकमल प्रकाशन, गोरखपुर 2006
2. उपाध्याय विश्वामित्र : 'ग्राम पंचायतों को जनजीवन देने का समय', कुरूक्षेत्र मार्च, 1919, ग्रामीण विकास मन्त्रालय, नई दिल्ली, पृष्ठ 3
3. खान एस0 इल्तिजा : 'गवर्नमेन्ट इन रूरल इण्डिया, एशिया पब्लिकेशन्स हाउस, बम्बई, 1969, पृष्ठ–31
4. गांधी एम0के0 : 'ग्राम स्वराज' नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1962, पृष्ठ 67
5. मालविया एच0डी0 : 'भारत में पंचायतीराज', 1956, पृष्ठ 46, नई दिल्ली।
6. महिपाल, ''पंचायतीराज : अतीत, वर्तमान और भविष्य'' नई दिल्ली सारांश प्रकाशन 1996, पृष्ठ संख्या 18
7. मानवीया, एच0डी0 : ''विलेज पंचायत इन इण्डिया'', इक्नॉमिक पॉलिटिकल रिसर्च डिपार्टमेण्ट, नई दिल्ली, आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी, 1956, पृष्ठ–83
8. ''शर्मा हरिश्चन्द्र : 'भारत में स्थानीय शासन का इतिहास' कॉलेज बुक डिपो, 1957–76, पृष्ठ 25
9. सुरौलिया शंकर : 'प्राचीन भारत में ग्रामीण शासन', कॉलेज बुक डिपो, 1975–76, पृष्ठ 25
10. तेजमल एक : 'भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण', अजमेर 1961, पृष्ठ 37–38

*****